

कार्यालय कलेक्टर जबलपुर एवं पदेन अपर सचिव म.प्र.शासन राजस्व विभाग
 क्रमांक...358.../भू-अर्जन/प्र.क्रं.01/अ-82/2017-18 जबलपुर दिनांक...20/3/2018
 (म0प्र0भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013)

अधिसूचना धारा-11

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा (11) की उपधारा(1) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने में (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

चूंकि बेलखेड़ा कटाईघाट मार्ग के किलोमीटर 3/10 में हिरन नदी पर निर्मित रपटा जो वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त हो जाता है जिसके कारण कटाईघाट एवं बरमान की ओर के निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है इस हेतु शासन द्वारा हिरन नदी पर ऊंचे पुल का निर्माण किया जा रहा है उक्त पुल को पूर्व में निर्मित मार्ग से जोड़ने हेतु आंशिक भू-अर्जन किया जाना आवश्यक है, इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

||अनुसूची||

| भूमि का वर्णन | | | क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हे.में.) | धारा 12 की धारा अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|--------|-------------------|---------------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | ग्राम/ प.ह.नं. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| जबलपुर | शहपुरा | बरकछार प.ह.नं.-10 | 0.02 हे. | कार्यपालन यंत्री लो0 नि0वि0,सेतुनिर्माण संभाग जबलपुर | बेलखेड़ा-कटाईघाट-बरमान मार्ग के कि0मी0 3/10 में हिरन नदी पर पुल निर्माण हेतु पंधुच मार्ग निर्माण हेतु |

(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेबसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की बेवसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(महेश चंद्र चौधरी)

कलेक्टर जबलपुर एवं पदेन अपर सचिव
म.प्र.शासन राजस्व विभाग

भू-अर्जन अधिकारी
पाटन

क्रमशः.....2